कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2216 /12-1 दिनांक, मसूरी 23–12–2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र नैनबाग से ऐन्दी, पत्थरखोल तक (लम्बाई– 37.300 किमी0 एंव 40से0मी0 चौड़ाई में) **Permission for OFC laying along the road from Nainbagh Exch. to Dhararsu T-Point (via Pantwari. Aindi, Banchaura, Dharkot & Jagdai)** के निर्माण हेतु 0.132 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु DIVISIONAL ENGINEER, TElECOM PROJECTS, Dehradun को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :– मण्डलीय अधिशासी अभियन्ता, संचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) देहरादून, उत्तराखण्ड का पत्रांक DE / TP /DN/T – 868 /281, दिनांक 17–11–2017 एंव पत्रांक DE TP /DN/T – 868 /31, दिनांक 19–12–2017।

महोदय,

मण्डलीय अधिशासी अभियन्ता, संचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्रों (प्रति संलग्न) से जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र नैनबाग से ऐन्दी, पत्थरखोल तक (लम्बाई– 37.300 किमी0 एंव 40से0मी0 चौड़ाई में) Permission for OFC laying along the road from Nainbagh Exch. to Dhararsu T-Point (via Pantwari. Aindi, Banchaura, Dharkot & Jagdai) के निर्माण हेतु 0.132 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग स्तर से जांच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड प्रति प्रेषित है। विषयांकित कार्य के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि0 11–05–2017 को किया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल का दिनांक 22–12–2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित कार्य के निर्माण में स्थल पर कोई वृक्ष प्रभावित /वाधित होना निहित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2216 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – मण्डलीय अधिशासी अभियन्ता, संचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) जे ब्लाक, टाईप–III संचार विहार, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

OFFICE OF DIVISIONAL ENGINEER,
TELECOM PROJECTS, J-BLOCK, TYPE-III Qtr.
SANCHAR VIHAR, INDIRA NAGAR COLONY,
DEHRADUN, (UTTARAKHAND). PIN - 248006
Tel:-0135 - 2763840, 2760665, Fax:- 2761214

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

No.:- DE TP/DN/T-868/28 Date: 17.11.2017

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी

विषयः– जनपद टिहरी के अन्तर्गत नैनबाग से ऐन्दी, पत्थरखोल तक 37.3किमी0 की लम्बाई एवं 40 सेमी0 चौडाई में सडक के किनारे ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु वन भूमि का बी0एस0एन0एल0 देहरादून को हस्तान्तरण स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/30115/2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संचार परियोजना विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जा रही है। कृपया विषयक प्रकरण मे वन भूमि हस्तान्तरण सम्बंधी कार्यवाही अग्रसारित करने का कष्ट करें। इस सम्बंध में ऑन लाईन प्रकिया के माध्यम से प्राप्त पावती आपके अवलोकन हेतु संलग्न है।

संलग्नः– 04 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मण्डलीय अभियन्ता,
संचार परियोजना(बी0एस0एन0एल0)
देहरादून (उत्तराखण्ड)

मसूरी वन प्रभाग
प्राप्ति संख्या 3461
पत्रावली संख्या 12-1
दिनांक 27/11/17

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र नैनबाग से ऐन्दी, पत्थरखोल तक (लम्बाई– 37.300 किमी0 एंव 40से0मी0 चौड़ाई में) Permission for OFC laying along the road from Nainbagh Exch. to Dhararsu T-Point (via Pantwari. Aindi, Banchaura, Dharkot & Jagdai) के निर्माण हेतु 0.132 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **DIVISIONAL ENGINEER, TEICOM PROJECTS, Dehradun** को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग।
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.132 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.132 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि ऐन्दी कक्ष सं0 – 4 एंव 5
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य में लो0नि0वि0 द्वारा पूर्व निर्मित मोटर मार्ग को मुख्यतः प्रयोजन में लाया जाना है तथा उक्त प्रयोजन में लाये जाने वाली वन भूमि में कोई वृक्ष अवस्थित नहीं है और नहीं कोई वृक्ष प्रभावित /वाधक होना निहित है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा भू–वैज्ञानिक की भू–गर्भीय आख्या की आवश्कता नह होने का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –22 पर चस्पा किया गया है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि ऐन्दी कक्ष सं0– 4 एंव 5 तथा नैनबाग से ऐन्दी, पत्थरखोल तक लाभाविन्त होने वाले गावों की निजी भूमि की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक एंव वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –14 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लो0नि0वि0 एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –27 पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र –26 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर 250 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 29ए व 29 बी चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु 250 वृक्षों का वृक्षारोपण एंन्दी कक्ष सं0 –5 में प्रस्तावित किया गया है। प्रसतावित वृक्षारोपण क्षेत्र ढालदार तथा प्रस्तावित कार्यस्थल से लगा हुआ है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्चयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियांः–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्चयन एजेन्सीः–** स्वयं वन विभाग। **समयः–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागतः–** प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि 1.00 है0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर 250 वृक्षों का वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 29ए व 29 बी चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित योजना के निर्माण में प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 2,50,000.00 (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा किया गया है।
11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 9 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 22 –12.–2017 को किया गया है, जो प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – 9ए पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	मसूरी वन प्रभाग /जिला– टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 94 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 979..9032 है0 वन क्षेत्र है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि परः–	(क) 227.0912 /622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 218.90 है0 /504.88 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित पार्किंग निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 22– 12 –2017।

नामः– (कहकशां नसीम)

स्थानः– मसूरी,

सरकारी मुहर प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी